अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रस्तावना

सुदृढ आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समबद्धता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक है तो सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

यह अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं करना

4.1.1 राज्य सरकार के बजट से इतर उधार और बढ़ती आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार भारत क्षेत्र के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रत्याभूति पर उधार ले सकती है और ऐसी उधार की सीमा संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत विनियमित होती है। इन उधारों के अतिरिक्त राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा बाजार/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों की प्रत्याभूति देती है, जो राज्य के बजट के बाहर प्रदर्शित होते है। यद्यपि, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि इन कार्यक्रमों के लिये जुटाई गई निधियां इन जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा जुटाये गये संसाधनों से चुकाई जायेगी जबकि ऐसे कई उधारों का सरकार द्वारा ही पुनर्भुगतान किया जाता है और अंत में यह राज्य सरकार की देनदारियां बन जाती है। इस प्रकार, इन्हें 'बजट से इतर उधार' कहा जा सकता है क्योंकि ये बजट में शामिल नहीं होते है एवं विधायी नियंत्रण से बाहर रहते है। राजस्थान में ऐसे दो उदाहरण देखे गये है जो नीचे दिये गये है:

- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2020) कि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार ने जिला परिषदों द्वारा मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से लिए गए ऋण राशि ₹ 3,948.66 करोड़ के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी। राज्य सरकार इन ऋणों के विरुद्ध मूलधन एवं ब्याज का भुगतान कर

रही है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 433.36 करोड़ (₹ 235.88 करोड़ मूलधन एवं ₹ 197.48 करोड़ ब्याज) 31 जिला परिषदों द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिये हुडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किये। वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक शेष ₹ 2,137.42 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान राशि ₹ 235.88 करोड़ की प्रत्याभूति का समायोजन करते हुए वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,901.54 करोड़ रही।

- वर्ष 2019-20 के बजट भाषण की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने राजस्थान सरकार की प्रत्याभूति पर ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स से कृषक कल्याण कोष के लिये राशि ₹ 1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। इस ऋण के मूलधन एवं उपार्जित ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जिम्मेदारी ली गयी। इस प्रकार, ऋण के पुनर्भुगतान का समस्त उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार का है बोर्ड का नहीं, हालांकि देयता का उल्लेख राज्य सरकार के लेखों में नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने इन ऋणों के ब्याज के भुगतान के लिये राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को ₹ 22.00 करोड़ का अनुदान जारी किया था।

तालिका 4.1: 31 मार्च 2020 को बजट से इतर उधार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
अ .	(i) राज्य सरकार की ओर से जिला परिषदों द्वारा उधार जहाँ मूलधन एवं ब्याज राज्य के बजट से इतर रखे जाते है ।	1,901.54
	(ii) राज्य सरकार की ओर से राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उधार जहाँ मूलधन एवं ब्याज राज्य के बजट से इतर रखे जाते है ।	1,000.00
	योग	**2,901.54**

तालिका 4.2: बजट से इतर उधार की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राशि	जीएसडीपी का प्रतिशत
2017-18	2,372.91	0.28
2018-19	2,137.42	0.23
2019-20	2,901.54	0.28

इस प्रकार, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान बजट से इतर उधार ₹ 764.12 करोड़ से बढ गये। इस प्रकार, बजट से इतर उधारों के कारण राज्य सरकार की देनदारी/उधारी को लेखों में कम आंका गया।

4.2 निधियां सीधे ही राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तान्तरित

केन्द्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये बड़ी मात्रा में निधियां सीधे ही राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों (आईए)[1] को हस्तान्तरित करती है। इन निधियों को राज्य के वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है, चूँकि इन निधियों का अंतरण राज्य बजट/कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है एवं राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/मापदंडों की सम्पूर्ण स्थिति का इस स्तर तक प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014-15 से सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और खंड अनुदानों के अन्तर्गत योजनागत सहायता को राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में में वर्गीकृत किया जायेगा और राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी को हस्तान्तरित की जायेगी।

यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 9,483.87 करोड़ की केन्द्रीय निधि सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तान्तरित की गयी। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिये राशि ₹ 5,427.78 करोड़, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान) के लिये ₹ 3,284.17 करोड़, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिये ₹ 170.00 करोड़, सोलर पावर आफ ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड एवं डी-सेन्ट्रलाईज रिन्यूवेबल पावर के लिये ₹ 88.12 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिये ₹ 87.80 करोड़ और राज्य ऐजेन्सियों को सहायतार्थ एनएफएसए के अन्तर्गत एफपीएस डीलरों को खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिये सहायता ₹ 78.35 करोड़ हस्तान्तरित की। सीधे राज्य कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तान्तरित निधियों की मात्रा नीचे **तालिका 4.3** में दी गई है और विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.3: वर्ष 2013-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राशि	8,571.62	561.46	615.47	3,799.71	3,946.78	4,648.31	9,483.87

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से राज्य कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण में कमी केवल वर्ष 2014-15 के दौरान दर्ज की गई जबकि इसके बाद हस्तान्तरण में लगातार वृद्धि हुई है।

4.3 स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 64 के अनुसार जिला परिषद (जेडपी), पंचायत समिति (पीएस), एवं ग्राम पंचायत (जीपी) क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि की जमा-109 पंचायत निकाय निधियों के अन्तर्गत) का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और पंचायती राज

1. कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/ संस्थाएं सम्मिलित है जिनको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हैं।

संस्थाओं द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार से प्राप्त राशि और उनके स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर प्राप्तियां और कर-भिन्न प्राप्तियां शामिल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जाता है एवं अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और नगर पालिका द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि को नगरपालिका निधि के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि को जमा-102 नगरपालिका निधि में रखा जाता है।

31 मार्च 2020 को पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय निधियों एवं नगरपालिका निधि में जमाओं की स्थिति **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4: स्थानीय निधियों को जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अन्तिम शेष	नगरपालिका निधि (8448-102)			
	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5+9)=10	11	12	13	14
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.2	884.48	704.67	650.01	2,066.69	337.78	1,545.16	1,284.08	598.86
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55	598.86	1,637.98	1,688.86	547.98
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.63	1,140.81	893.1	2,329.30	547.98	1,841.45	1,772.50	616.93
2015-16	1,436.20	4,412.58	3,879.91	1,968.87	893.1	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43	616.93	2,217.67	1,903.89	930.71
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.37	930.71	2,647.54	2,160.13	1,418.12
2017-18	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78	3,321.79	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95	2,972.81	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17
2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55	2,472.62	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73

स्रोतः राज्य का बजट व वित्त लेखे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-20 के दौरान जिला परिषद निधियों, पंचायती समिति निधियों और नगरपालिका निधियों में उल्लेखनीय शेष था । वर्ष 2019-20 के दौरान इन निधियों में अंतिम शेष क्रमशः ₹ 1,300.07 करोड़, ₹ 1,172.55 करोड़ और ₹ 1,442.73 करोड़ था।

ग्राम पंचायतें अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में खाते संचालित करती है। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इनका विवरण न तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किये गये थे और न ही कोषालय लेखों में उपलब्ध कराये गये।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (मार्च 2020) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना में ग्राम पंचायतों के खातों में अनुपयोजित निधियों के विवरण को पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित करने के लिए फिर से दिशानिर्देश फरवरी 2020 में जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग ने बजट परिपत्र (सितम्बर 2020) के माध्यम से आईएफएमएस के

भुगतान प्रबन्धक माड्यूल में सभी पीडी खातों की जानकारी प्रदान करने, आगे की जांच नियंत्रण अधिकारी द्वारा करने और निष्क्रिय बैंक खातों को बन्द करने के निर्देश दिये। यद्यपि, इन आदेशों की अनुपालना की स्थिति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण मे विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा वि एवं ले नि), 2012 के नियम 284 एंव 286 मे निर्धारित किया गया है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों[2] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जब तक की अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। इसी प्रकार, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये प्रदान की गई निधियों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जहां अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रदान किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 34,862.16 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 28,372.38 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) और ₹ 799.14 करोड़ 93-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत जारी किये।

वर्ष 2004-05 से 2018-19 की अवधि के दौरान, विभिन्न विभागों से मई 2020 तक कुल ₹ 940.61 करोड़ के 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे जैसा कि **तालिका 4.5** में उल्लेखित है। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, 581 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि ₹ 914.30 करोड़ पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान से संबंधित हैं। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु-वार विवरण नीचे तालिका में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.5: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		प्रस्तुतीकरण के लिए बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	104	9.32	31	42.14	73	49.12	62	2.34
2017-18	62	2.34	308	51.32	175	47.69	195	5.97
2018-19	195	5.97	808	970.44	233	35.80	770	940.61

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 285(4) के अनुसार, सामान्य उद्देश्य के अलावा जारी अनुदान यथा राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत वेतन एवं स्थापना व्यय (₹ 5690.64 करोड़) हेतु जारी अनुदानों जहाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2004-05	1	0.12
2009-10	2	0.01
2010-11	6	0.10
2011-12	8	0.18
2012-13	10	0.11
2013-14	8	0.06
2014-15	3	0.01
2015-16	5	0.11
2017-18	128	3.94
2018-19	599	935.98
योग	**770**	**940.61**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़) कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, मई 2020 तक लम्बित 770 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से दिसम्बर 2020 तक विभिन्न विभागों से 137 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बकाया राशि का लगभग 97.66 प्रतिशत मुख्यतः परिवार कल्याण विभाग (₹ 260.67 करोड़), पंचायती राज विभाग (₹ 236.64 करोड़), चिकित्सा विभाग (₹ 55.32 करोड़) तथा शहरी विकास विभाग (₹ 28.81 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विभागवार विभाजन नीचे **तालिका 4.7** में सारान्शीकृत और **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7: विभाग-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग के नाम	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
परिवार कल्याण विभाग, जयपुर	22	260.67
शहरी विकास, जयपुर (स्थानीय स्वशासन)	33	28.81
पंचायती राज विभाग, जयपुर	372	236.64
चिकित्सा विभाग, जयपुर	10	55.32
शिक्षा विभाग, जयपुर	4	7.41
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जयपुर	2	0.29
वन विभाग, जयपुर	3	0.66
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	18 5	5.06
तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर	2	0.54
योग	**633**	**595.40**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

चार्ट 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

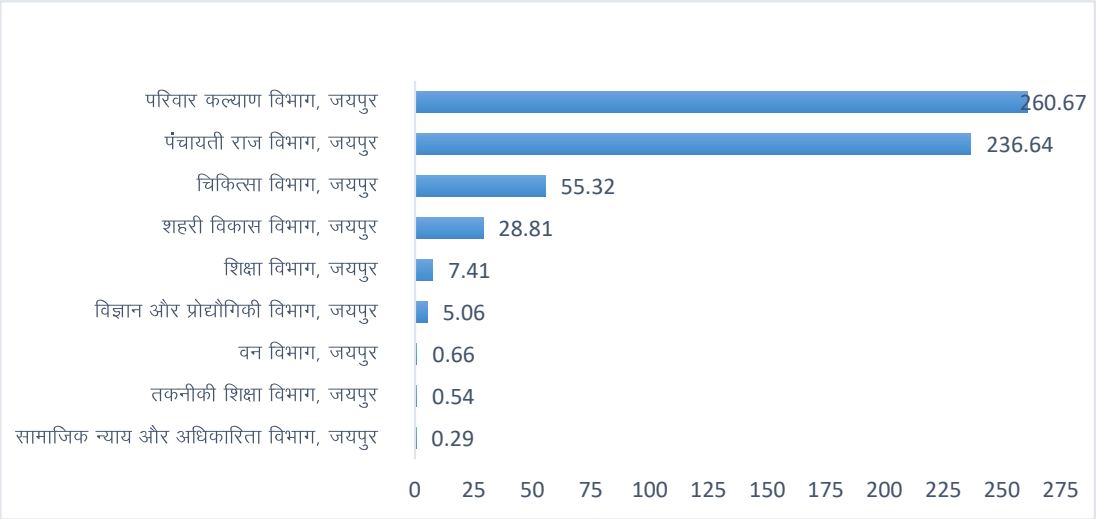

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में अनिवार्य होने पर भी लेखों में शामिल करने के लिए स्वीकृतियां और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतियां कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित नहीं की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि अधीनस्थ कार्यालयों से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य संबंधित विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि नियत उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को भी इंगित करते हैं। समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विफलता, भारत सरकार से आगामी किश्तों के जारी नहीं होने का भी कारण बनती है जो राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

4.4.1 अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) एक सरकारी निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सरकारी निकाय/संस्था/व्यक्ति को सहायता, दान या योगदान के रूप में भुगतान है। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान को तीन कार्यात्मक शीर्षों में विभाजित किया गया है, जैसे (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92-सहायतार्थ अनुदान (वेतन); और (iii) 93- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान।

लेखा परीक्षा और लेखाओं पर संशोधित विनियम, 2007 के विनियम 88 यह प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकारियों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते है, ऐसे निकाय और प्राधिकारी जिन्हें अनुदान और/या ऋण ₹ 10 लाख या अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष

के दौरान किया गया था, का एक विवरण (अ) सहायता की राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (स) निकाय या प्राधिकारी का कुल व्यय दर्शाते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 21.2 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान कुल सहायतार्थ अनुदान ₹ 41,024.82 करोड़ में से ₹ 10,222.30 करोड़ (24.92 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गई थी, जहाँ 'अन्य' का तात्पर्य विभिन्न सरकारी विभागों से है जैसाकि नीचे **तालिका 4.8** में दिया गया है:

तालिका 4.8: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पीआरआई, यूएलबी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर-सरकारी उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सहकारी समिति और संस्थान एवं सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	22,287.29	21,142.87	25,223.22	24,837.17	30,802.52
2.	अन्य	9,437.52	11,749.33	9,761.88	10,025.04	10,222.30
	कुल अनुदान	**31,724.81**	**32,892.20**	**34,985.10**	**34,862.21**	**41,024.82**
	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	**29.75**	**35.72**	**27.90**	**28.76**	**24.92**
3.	**राज्य का कुल व्यय**	**1,64,887**	**1,57,085**	**1,67,799**	**1,87,524**	**1,93,458**
4.	**कुल अनुदान का राज्य के कुल व्यय से प्रतिशत**	19.24	20.94	20.85	18.59	21.21

स्रोतः वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिये गये अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान का 24.92 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के मध्य था। इसके अलावा, तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल अनुदान का कुल व्यय से प्रतिशत 18.59 प्रतिशत से 21.21 प्रतिशत रहा।

इसलिए, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। अनुदानग्राही संस्थान के उपयुक्त लेखांकन का अभाव वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखों की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव रखता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितता

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके कुछ राशि आहरित करने के लिए नियंत्रण और संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में

वाउचर) को कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक़) को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम 219 के अंतर्गत डीसी बिल के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके अनुसार डीसी बिल जहाँ सक्षम प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य हैं, उद्देश्य पूर्ण होने के तुरंत बाद नियंत्रक अधिकारी को भेजा जाना आवश्यक है, लेकिन आगामी माह की 10 तारीख के बाद नहीं। नियंत्रक अधिकारी विस्तृत संवीक्षा के उपरांत बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और डीसी बिल के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बिल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लौटायेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी सम्बन्धित कोषालय अधिकारी को बिल प्रस्तुत करेगा। संवीक्षा के उपरांत, कोषालय अधिकारी तीन दिनों के भीतर बिल को महालेखाकार को भेजेगा। जिन प्रकरणों में प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं, डीसी बिल सीधे ही कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा । इसके आलावा, नियम 220(1) आगे एसी बिलों के आहरण से तीन महीने की अवधि के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबंधित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहां डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छह महीने में प्रस्तुत किए जायेंगे)।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि मई 2020 को राज्य सरकार द्वारा आहरित किये गए ₹ 55.49 करोड़ के 202 बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये। बकाया डीसी बिलों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.9** में दिया गया है:

तालिका 4.9: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डीसी बिल	डीसी बिलों की राशि
मार्च 2011 तक	6	2.93
2012-13	1	1.04
2014-15	3	2.47
2016-17	3	2.61
2017-18	4	24.37
2018-19	18	5.40
2019-20	167	16.67
योग	**202**	**55.49**

स्रोत: वित्त लेखे और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़) द्वारा संकलित सूचना।

तालिका 4.10: बकाया डीसी बिलों की आयु वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

आयु	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि
20 से 30 वर्षों के मध्य	5	0.01
11 से 15 वर्षों के मध्य	1	2.92
5 से 10 वर्षों के मध्य	4	3.51
1 से 5 वर्षों के मध्य	25	32.38
0 से 1 वर्ष के मध्य	167	16.67

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 2.93 करोड़ के छह बिल 11 से 30 वर्षों के लिए लंबित थे और राशि ₹ 35.89 करोड़ के 29 बिल एक से 10 वर्षों से लंबित थे।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि नवम्बर 2020 को राशि ₹ 39.55 करोड़ के 64 डीसी बिल बकाया थे।

लंबित एसी बिलों के मुख्य शीर्ष-वार विवरण के साथ-साथ नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिए बकाया राशि को निम्नलिखित **चार्ट 4.2** में प्रस्तुत किया गया है और ***परिशिष्ट 4.2*** में वर्णित है।

चार्ट 4.2: बकाया डीसी बिलों की विभाग वार स्थिति

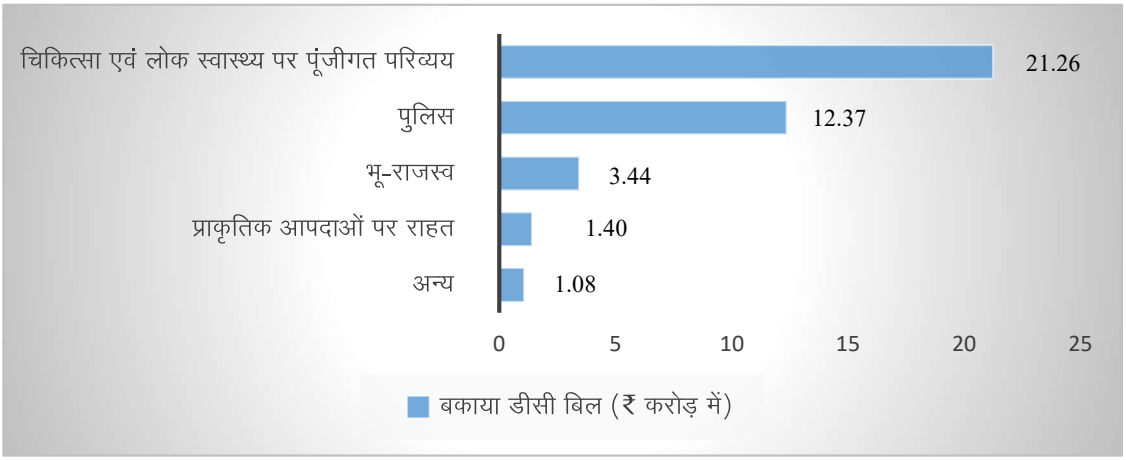

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान 905 एसी बिल (₹ 76.83 करोड़) आहरित किये गए जिनमें से ₹ 1.17 करोड़ के 35 बिल (3.87 फीसदी) मार्च में आहरित किये गये। पुलिस विभाग (राशि ₹ 0.39 करोड़ के छः बिल) और राहत विभाग (राशि ₹ 0.36 करोड़ के चार बिल) द्वारा उल्लेखनीय राशि ₹ 0.75 करोड़ आहरित की गई।

(i) डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना

लेखा परीक्षा संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2019 तक की अवधि के 30 एसी बिल 1 से 30 वर्ष तक की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी असमायोजित रहे। विवरण निम्न **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के कारण/लेखापरीक्षा आक्षेप
1.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	283/6.1.2015 395/27.3.2015 368/29.3.2017 421/28.3.2018 348/9.2.2018 347/9.2.2018 285/13.3.2019 286/13.3.2019	57.00 180.50 239.00 66.50 83.50 161.50 261.40 161.97	अधिकतर यंत्र ख़रीदे जा चुके हैं। बजट की कमी और तकनीकी अयोग्यता के कारण कुछ मामलों में आदेश नहीं दिए जा सके और दोबारा टेंडर किये जाने थे।
2.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी	2204	77/21.12.2018	2.64	निदेशालय एनसीसी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के कारण/लेखापरीक्षा आक्षेप
	मुख्यालय,जयपुर				
3.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/6.10.2016	2.00	कार्मिक विभाग से पत्राचार प्रक्रियाधीन है।
4.	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	2202	63/6.2.91	0.30	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किया गया।
5.	उप निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	3425	1076/15.3.2019 1075/15.3.2019 1077/15.3.2019	8.00 2.00 6.00	चार जिलों के 72 स्कूलों से वाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।
6.	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202	66/13.6.1992 59/27.2.1991	0.24 0.30	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किये गये।
7.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	182/5.3.2008	292.00	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली से ₹ 15.64 लाख की वसूली लंबित होने के कारण, डीसी बिल लंबित है। विभाग द्वारा वसूली के प्रयास किये जा रहे है।
8.	कलक्टर, डीएमआरडी, अलवर	2245	813/19.3.2013	103.50	गबन की राशि जमा न करना एवं अन्य योजनाओं को भुगतान के लिए विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना।
9.	प्राचार्य एवं अतिरिक्त प्राचार्य एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	4210	1487/30.3.2018	2125.67	विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि मशीन के अपूर्ण स्थापन एवं प्रदर्शन कार्य के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
10.	प्राचार्य डाईट,बीकानेर	2202	356/22.1.1990	0.30	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किया गया।
11.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	512/14.10.2019	52.00	₹ 31.83 लाख के बिल प्रस्तुत किये जा चुके हैं विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि राजस्व मंडल से अनुपालना अपेक्षित है।
12.	जिला प्रोढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	2202	112/22.3.1997	0.08	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये गए।

*जून 2020 से अक्टूबर 2020 के दौरान समायोजित किये गए पांच एसी बिल गत वर्षों से, जैसाकि **तालिकाओं 4.9** और **4.10** में दर्शाया गया है, से सम्बंधित हैं।

विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि डीसी बिल को प्रस्तुत नहीं करना विभाग के साथ-साथ कोषालयों में अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक लेखा शीर्ष के विरुद्ध एसी बिल के माध्यम से आहरित राशि का लेखांकन होता है । जब तक डीसी बिलों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर खातों का निपटान नहीं हो जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है।

(ii) विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा वि एंव ले नि), 2012 के नियम 8 (2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत हो।

लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, वर्ष 2019-20 के दौरान डीसी बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण देरी ध्यान में आयी । विवरण निम्न **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी की मात्रा

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलम्ब से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलम्ब की अवधि (महिनों में)	चालान के द्वारा जमा करायी गई राशि
1.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	3 (396, 367, 347)	27 से 39	3.33
2.	प्रशासनिक कार्यालय, एनसीसी मुख्यालय,जयपुर	1(76)	15	0
3.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	7(259,510,195,514,122, 215,507,216,260)	10 से 21	0
4	राजस्व मंडल, अजमेर	2(991, 266)	9 से 12	9.16
5.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	1 (107)	4	0
6.	कमांडिंग अधिकारी 3 राजस्थान डीएन एनसीसी, सीकर	2 (53, 54)	5	0
7.	सहायक निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर	1 (436)	56	0
8.	जिला कलेक्टर, डी एम आर डी, उदयपुर	2(36, 49)	15 से 18	2386.74
9	डी ई ओ,(छात्र), कोटा	1 (33)	28 वर्ष	0.26
10	प्राचार्य एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1 (1968)	15	0
11	जिला निर्वाचन अधिकारी, बाड़मेर	1 (107)	5	0
12	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	4 (64,65,74,16)	4 से 8	0
13	जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर	1 (114)	5	0
14	अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), स्वान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर	1 (339)	6	0
15	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	(346) 1	14	0
16	प्राचार्य, एस पी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	(1317) 1	34	0
	योग	**30 (₹ 6734.69 लाख)**		**₹ 2399.49 लाख**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में 4 माह से 28 वर्षों की देरी थी जिससे पता चलता है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण किया गया। यह एसी बिलों के माध्यम से व्यय को अपारदर्शी करता है।

आगे, नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित किये गए लंबित डीसी बिलों में से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 82 डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सरकारी खाते में चालान के माध्यम से ₹ 1.20 करोड़ की राशि जमा कराई थी।

(iii) ***अन्य अनियमितताएं:*** निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर ने एक उपकरण खरीदने के लिए एसी बिल (422/28.3.2018) के माध्यम से ₹ 6.00 लाख की राशि आहरित की थी। हालांकि, डीसी बिल प्रस्तुत करते समय चालान से पूरी राशि वापस जमा करा (दिसंबर 2019) दी गई। यह दर्शाता है कि उपकरण के लिए तत्काल भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके बावजूद विभाग ने एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित की थी।

एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण कर अनियमित अवरोधन विभागों को बजट प्रावधान के व्यपगत होने से बचाने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि व्यय करने के लिए बजटीय मजबूरी को दरकिनार करने में सक्षम बनाता है। पहले से आहरित एसी बिलों के विरुद्ध लंबित डीसी बिलों के मामलों के नियमित अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली लागू की जानी आवश्यक है।

4.6 निजी निक्षेप खाता

निजी निक्षेप खाता लोक लेखे के जमा शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कोषालय के साथ खोले जाने वाला एक खाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि जब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा अधिकृत न कियागया हो। एक निजी निक्षेप (पीडी) खाता खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान कोषालय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पीडी खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप के अंतर्गत राशि ₹ 33,827.12 करोड़ हस्तांतरित/जमा किए गए, जो कि कुल व्यय (₹ 1,93,458 करोड़) का 17.5 प्रतिशत था जिसमें से ₹ 23,574.03 करोड़ राज्य की समेकित निधि को नामे (डेबिट) करके हस्तांतरित किए गए। ₹ 23,574.03 करोड़ में से, राशि ₹ 4,936.18 करोड़ (18.6 प्रतिशत) केवल मार्च 2020 में पीडी खातों में हस्तांतरित/जमा की गई। राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार, बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि आहरित करने की कार्यप्रणाली तथा सार्वजनिक खातों या बैंक में इस तरह की धन राशि को रखना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान निजी निक्षेप खाते में व्यापक राशि का हस्तांतरण राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन है।

31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के पीडी खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित) की स्थिति **तालिका 4.13** में नीचे दी गई है।

तालिका 4.13 : प्रचलित एवं अप्रचलित पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या (1 अप्रैल 2019 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		पीडी खातों की संख्या (31 मार्च 2020 को)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रचलित पीडी खाते	1863	13,325.41	46*	33,827.25*	64**	30,869.05**	1,845	16,283.61
अप्रचलित पीडी खाते (पांच वर्षों से अधिक)	36	0.18	55	5.46	36*	0.18*	55	5.46
योग	**1,899**	**13,325.59**	**101**	**33,832.71**	**100**	**30,869.23**	**1,900**	**16,289.07**

*12 अप्रचलित पीडी खाते (₹ 0.13 करोड़) सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष के दौरान प्रचलित किया गया था।
**55 पीडी खाते (₹ 5.46 करोड़) सम्मिलित हैं जो वर्ष के दौरान अप्रचलित हो गए।

1,900 पीडी खातों में ₹ 16,289.07 करोड़ का अव्ययीत शेष था जिसमें से 26 पीडी खाते[3] (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और अधिक का शेष) जिनमें ₹ 10,573.24 करोड़ अर्थात कुल अव्ययीत शेष का 64.91 प्रतिशत था, सम्मिलित है। वर्ष के दौरान 291 पीडी खातों में कोई लेन देन नहीं हुआ था। पीडी खातों का अवधि-वार विवरण और उनके शेष **तालिका 4.14** में नीचे दिये गए है:

तालिका 4.14 : 31 मार्च 2020 तक पीडी खातों का अवधि वार विवरण

(₹ करोड़ में)

आयु सीमा	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2020 को राशि
0-1 वर्ष	34	1,731.68
1-3 वर्ष	395	4,455.44
3-5 वर्ष	90	1,299.34
5-10 वर्ष	130	475.43

3. राजस्थान राज्यस्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय)(₹ 1,231.03 करोड़); उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य कॉरपोरेशन बैंक जयपुर शहर (₹ 558.88 करोड़); सचिव राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जयपुर शहर (₹ 415.34 करोड़); राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर(सचिवालय) (₹ 552.19 करोड़); राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त विकास निगम (₹ 537.17 करोड़); डीएमएफटी, भीलवाड़ा (₹ 876.09 करोड़); डीएमएफटी,राजसमन्द (₹ 657.93 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय)(₹ 471.73 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 363.09 करोड़); इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय)(₹ 119.23 करोड़); आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर (₹ 296.51 करोड़); कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा (₹ 193.74करोड़); अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर (₹ 112.61करोड़); अध्यक्ष, डीएमएफटी निधि, अजमेर (₹ 159.31 करोड़); प्रबंध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 124.12 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण)(₹ 238.74 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹ 220.09 करोड़); डीएमएफटी, पाली (₹ 157.07 करोड़); राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर शहर (₹ 482.61 करोड़); कृषक कल्याण कोषालय (के-3), जयपुर (शहर) (₹ 1,500 करोड़); राजस्थान राज्य स्वास्थ्य इंश्योरेंस एजेन्सी (₹ 338.69 करोड़); निदेशक/ आयुक्त ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (सचिवालय) (₹ 362.09 करोड़); प्रबंध निदेशक, राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन, लिमिटेड जयपुर (सचिवालय)(₹ 114.53 करोड़); राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (ग्रामीण विकास विभाग), जयपुर (सचिवालय)(₹ 199.05 करोड़); राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति, जयपुर (सचिवालय)(₹ 189.38 करोड़) एवं डीएमएफटी, सिरोही (₹ 102.02 करोड़)।

10 वर्ष से अधिक	1,043	6,899.76
विवरण उपलब्ध नहीं	208	1,427.42
योग	**1,900**	**16,289.07**

पीडी खातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित अनियमिततायें दृष्टिगत हुईः

4.6.1 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए पीडी खाता

राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बाद एलआईसी प्रीमियम के भारतीय जीवन बीमा निगम को हस्तांतरण के लिए प्रत्येक कोषालय में बजट शीर्ष 8443-106 के अंतर्गत एक अलग पीडी खाता संख्या 471 खोला गया था।

वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए इस पीडी खाते के मासिक कोषालय-वार अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 40 कोषालयों में से मात्र 7 कोषालय[4], कर्मचारियों की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की कटौती को समय पर हस्तांतरित कर रहे थे। शेष कोषालयों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को नियमित रूप से प्रीमियम हस्तांतरण में विफलता आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करती है।

विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि 12 कोषालय[5] कर्मचारियों की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की कटौती को पीडी खातों से हस्तांतरित कर चुके हैं।

राज्य सरकार पीडी खाते से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम को हस्तान्तरित करने की समय सीमा निर्धारित कर सकती है।

4.6.2 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

राज्य सरकार ने राजस्थान डीएमएफटी नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार राज्य के सभी जिलों में शाषी परिषद और प्रबंध समिति के साथ डीएमएफटी की स्थापना (जून 2016) की। डीएमएफटी का उद्देश्य जिले में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के हित और लाभ के लिए काम करना था। डीएमएफटी अंशदान का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) और खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में करना है।

डीएमएफटी निधि का शेष ₹ 2,838.01 करोड़ था, जो 31 मार्च 2020 को राजस्थान में डीएमएफटी के 38 पीडी खातों में पड़ा हुआ था । विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि 31 जुलाई 2020 तक एकत्रित कुल राशि ₹ 3,949.97 करोड़ में से केवल राशि ₹ 912.90 करोड़ (23 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

4. ब्यावर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, जयपुर (सचिवालय), जालौर, पाली एवं सीकर।
5. उदयपुर, दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), करौली, बूंदी, सिरोही, टोंक, चूरू, नागौर, कोटा एवं धौलपुर।

सभी जिलों में ब्याज रहित पीडी खातों को बाद में ब्याज वाले पीडी खातों में परिवर्तित (जून 2018) किया जाना था। इस संबंध में, वित्त विभाग ने डीएमएफटी के ब्याज वाले निक्षेप खातों के लिए एक नया उप-शीर्ष खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को एक प्रस्ताव भेजा (20.08.2020)। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय ने इस उद्देश्य के लिए एक नया उप-शीर्ष 8342-120-65 डीएमएफटी खोलने के लिए वित्त विभाग को सहमति (12.10.2020) दी।

4.6.3 कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा

भारत सरकार ने जुलाई 2014 में सम्पूर्ण भारत में 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की। शहर में स्मार्ट पहल के विकास और एकीकरण को केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय रूप से उत्पन्न निधि के द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा।

कोटा स्मार्ट सिटी परियोजना कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा द्वारा कार्यान्वित थी। इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 हिस्सा के आधार पर वित्त पोषित किया गया था। कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक पीडी खाता (संख्या 6627) 31 मार्च 2018 को खोला गया।

पीडी खाते में मार्च 2018,मार्च 2019 एवं मार्च 2020 को क्रमशः ₹ 168.40 करोड़, ₹ 161.09 करोड़ और ₹ 193.73 करोड़ का अव्ययीत शेष था। वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन में मात्र ₹ 19.28 करोड़ का उपयोग किया गया।

मुख्य लेखा अधिकारी, कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बताया (फरवरी-अक्टूबर 2020) कि फरवरी 2020 के दौरान ₹ 436 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गए जिसकी पुष्टि वित्त विभाग ने की है (फरवरी 2021)। वित्त विभाग के निर्देशानुसार बैंक खाते से पीडी खाते को हस्तांतरित अवशेष राशि ₹ 33.41 करोड़ के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान पीडी खाते का अवशेष बढ़ गया। हालांकि, राज्य के हिस्से पर ब्याज का अभी तक उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद इसका उपयोग किया जाएगा।

4.6.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि

भारत सरकार (भास) ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) अधिनियमित किया, जो संनिर्माण कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाने एवं कार्यान्वयन के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड)' के गठन के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2009 (बीओसीडब्ल्यू नियम) बनाए और राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि (बीओसीडब्ल्यू निधि) सृजित की । बीओसीडब्ल्यू निधि को निजी निक्षेप खाते के रूप में संचालित किया जा रहा है । बीओसीडब्ल्यू नियम अधिदेश करते हैं कि उपकर से संग्रहित राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित करना होगा।

बीओसीडब्ल्यू निधि के तुलनपत्र के अनुसार, 31 मार्च 2017 को ₹ 1,189.19 करोड़ की 'चल संपत्ति' थी, जिसमें विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹ 1,185.06 करोड़ एवं बचत खातों में ₹ 4.13 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। यह राशि कल्याणकारी योजनाओं पर कम व्यय के कारण पिछले वर्षों से संबंधित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य के समेकित निधि से बीओसीडब्ल्यू निधि के पीडी खाते में ₹ 382.59 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। हालांकि, पीडी खाते से बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 482.62 करोड़ की राशि लंबित थी। वर्ष के दौरान बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पीडी खाते में कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गयी। वर्ष 2017-18 के बाद से बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत सरकार ने पीएमजीकेवाई पैकेज में संनिर्माण कर्मकारों को राहत देने के लिए बीओसीडब्ल्यू निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और अन्य श्रेणी के व्यक्ति /परिवार यथा स्वरोजगार वालों, फेरीवालों और कमजोर व्यक्ति एवं असहाय व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय (अगस्त 2020) लिया।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, संनिर्माण कर्मकारों को हस्तांतरण के लिए कुल आवश्यकता ₹ 383.76 करोड़[6] में से ₹ 328.50 करोड़ बीओसीडब्ल्यू निधि से राज्य सरकार (मार्च 2020)को हस्तांतरण किए जाने थे और शेष ₹ 55.26 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी, जिसे भविष्य में बीओसीडब्ल्यू निधि संग्रह के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा । जबकि ₹ 328.50 करोड़ लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने ₹ 55.26 करोड़ की शेष राशि के प्रावधान का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार,बीओसीडब्ल्यू के साथ 23.44 लाख संनिर्माण कर्मकार पंजीकृत हैं। उनमें से, राज्य सरकार ने केवल 15.35 लाख पंजीकृत कर्मकारों (65.49 प्रतिशत) को लाभ दिया और शेष 8.09 लाख कर्मकारों को कोई लाभ नहीं मिला।

पिछले वर्षों से संबंधित पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार ने केवल बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पास उपलब्ध धन के एक हिस्से का उपयोग किया। महामारी के दौरान सभी पंजीकृत संनिर्माण कर्मकारों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के धन का उपयोग भी किया जा सकता है।

4.6.5 निजी निक्षेप खातों का मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 264(5) के अंतर्गत, पीडी खातों के प्रशासक को इन खातों की शेष राशि का कोषाधिकारी (जहां विस्तृत लेखों को कोषालय द्वारा संधारित किया जाता है) के साथ

6. ₹ 2,500 प्रति व्यक्ति *15,35,054 निर्माण श्रमिक।

मिलान किया जाना आवश्यक है। राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 में बताया गया है कि कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक निजी निक्षेप खातों के प्रशासक से अवशेष पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2020 के अंत में पीडी खाते की शेष राशि के संबंध में 27 कोषालयों[7] द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि 16 कोषालयों[8] के 71 पीडी खातों के प्रकरण में कोषालयों और प्रशासकों के बीच अवशेष आंकड़ों में अंतर था, जो नियमानुसार मिलान की कमी को इंगित करता है।

राज्य सरकार द्वारा पीडी खातों में योजना-वार शेष राशि के संबंध में सूचना संधारित नहीं की जाती है। राज्य पीडी खातों में सभी योजनाओं के लिए योजना-वार खाता संधारित कर सकता है । समय-समय पर पीडी खाते के अवशेषों का मिलान नहीं करना लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए, पीडी खातों के प्रशासकों द्वारा कोषालय अधिकारियों के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ पीडी खातों के अवशेषों का मिलान करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सकती है।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि सभी कोषालयों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में पीडी खातों के प्रशासकों के साथ शेषों के मिलान तथा उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.6.6 अप्रचलित निजी निक्षेप खाता

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 का नियम 98 यह प्रदत्त करता है कि कोषाधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पांच वित्तीय वर्षों में अप्रचलित रहे खातों की सूची तैयार करेगा एवं इनको बंद करने की अनुशंसा करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गए पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 को, राशि ₹ 5.46 करोड़ के शेष वाले कुल 55 पीडी खाते गत पांच वर्षों (2015-20) से अप्रचलित थे इनमें से 8 अप्रचलित पीडी खातों में पिछले 5 वर्षों में शून्य शेष है, इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-4.3*** में दिया गया है। वित्त विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि 42 अप्रचलित पीडी खातों को बंद कर दिया गया है, पांच अप्रचलित पीडी खातों के संचालन की सशर्त अनुमति वित्त (मार्गोपाय) विभाग से ले ली गई है तथा शेष आठ पीडी खातों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

7. अलवर, बारां, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरु, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर(शहर), जयपुर(ग्रामीण), जयपुर(सचिवालय), जोधपुर(शहर), जोधपुर(ग्रामीण), झालावाड़, जालौर, पाली, करौली, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक, उदयपुर।
8. अजमेर(1), बीकानेर(8), चुरू(6), धौलपुर(5), झालावाड(6), कोटा(6), बारां (1), बूंदी(2), भरतपुर(1), दौसा(2), हनुमानगढ़(2),जयपुर(शहर)(4), जयपुर(ग्रामीण)(1), जयपुर(सचिवालय)(19), जोधपुर(ग्रामीण)(1), नागौर(6)।

पांच वर्षों तक अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद नहीं किया जाना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(2) तथा राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 का उल्लंघन है और कोषालयों के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का उपयोग

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां और 800-अन्य व्यय के अंतर्गत प्राप्तियों या व्यय की बुकिंग को प्राप्तियों और व्यय के अपारदर्शी वर्गीकरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों आदि जिनसे राशि संबंधित है को प्रकट नहीं करते हैं।

राबनि का परिशिष्ट 'अ' निर्धारित करता है कि प्राकलन अधिकारी को पर्याप्त सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखनी चाहिए कि व्यय उचित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यथासंभव अन्य व्यय की श्रेणी के तहत दर्ज करने से बचना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखों के शीर्षों जिनमें लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज राशि कुल प्राप्ति/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, को **तालिका 4.15** में दिया गया है।

तालिका 4.15: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अन्तर्गत दर्ज

विवरण	प्राप्ति		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	65.71	0035, 0056, 0217, 0220, 0801, 0851, 0852, 1452	4.76	2047, 4047, 5425
75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य	566.93	0230, 0235, 0401, 0435, 0515, 0701, 1475	11.65	3425
50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य	284.78	0070, 0202, 0406, 0425, 0702	5,210.91	2040, 2435, 2700, 2701, 3452, 4235, 4236 ,4401, 4575, 4885, 5054, 5452, 5475
योग	**917.42**		**5,227.32**	

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2015-20 के दौरान इस लघु शीर्ष को बड़े पैमाने पर संचालित किया है। इस लघु शीर्ष में दर्ज की गई राशियों को **तालिका 4.16** में दिया गया है।

तालिका 4.16: वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अंतर्गत दर्ज राशियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में)	सम्बंधित शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	सम्बंधित शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
2015-16	7,052.45	47.50	1,584.63	34.49
2016-17	9,364.25	41.45	2,060.49	31.85

2017-18	9,870.31	40.13	2,570.01	24.45
2018-19	10,014.77	35.81	5,822.23	24.88
2019-20	6,974.85	34.92	4,298.43	16.65

मामले जहां व्यय और प्राप्तियों का पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, को ***परिशिष्ट-4.4*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के संचालन की सीमा को संबंधित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन

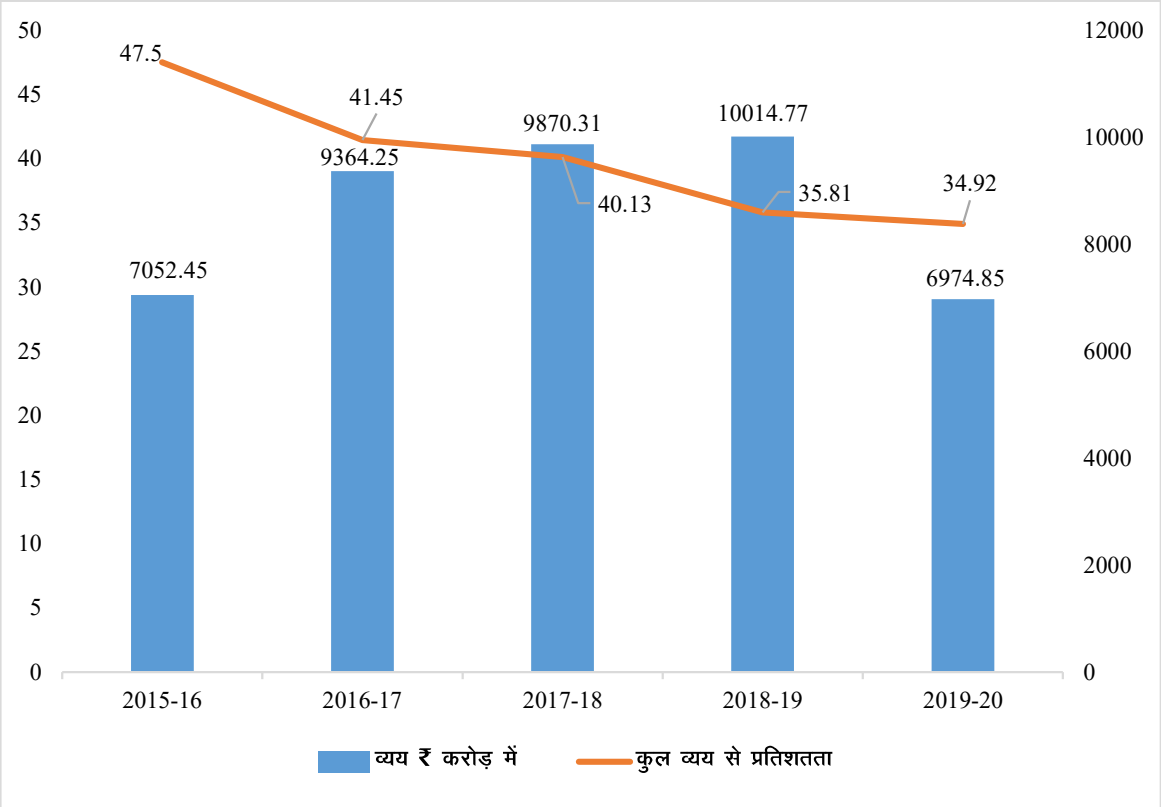

लघु शीर्ष-800 के तहत दर्ज पर्याप्त राशि वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

4.8 मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उचन्त शीर्ष राज्य के शेष, नामे और जमा के अंतिम समायोजन बकाया रहने तक लेनदेनों के लिए अस्थाई सुविधा के लिए अभिप्रेत है। केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले लेन देन का लेखा भी इसी शीर्ष में रखा जाता है।

प्रेषण में सभी समायोजन शीर्ष शामिल है, जिसके तहत कोषालयों में नकद प्रेषण और विभिन्न लेखांकन क्षेत्रों के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन संभागों में शीर्ष के प्रारंभिक नामे या जमा अंततः प्राप्तियों या

भुगतानों द्वारा या तो उसी क्षेत्र के खाते के बीच या किसी अन्य क्षेत्र के खाते में समायोजित हो जाती है। वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों में निवल शेष को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के तहत बकाया नामे और जमा शेष को अलग-अलग समेकित करने का काम किया जाता है। उचन्त और प्रेषण मद का निपटान राज्य कोषालयों/निर्माण और वन प्रभागों आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। भुगतान और लेखा कार्यालयों द्वारा उचन्त शेषों के खाते उप/विस्तृत शीर्षवार बनाये रखना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 8658-उचंत खाता के तहत उचन्त लघु शीर्ष 101-पीएओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) और 112-स्रोतों पर कर कटौती को, नीचे **तालिका 4.17** में वर्णित किया गया है।

तालिका: 4.17 उचन्त और प्रेषण शीर्षो के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
मुख्य शीर्ष8658-उचन्त	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101- पीएओ उचन्त	120.99	1.76	157.98	35.15	168.25	48.83
निवल	**नामे 119.23**		**नामे 122.83**		**नामे 119.42**	
102-उचन्त लेखे-सिविल	0.77	0.01	0.83	3.15	0.38	76.18
निवल	**नामे 0.76**		**जमा 2.32**		**जमा 75.80**	
106-संचार लेखा कार्यालय उचंत	-*	-	-*	_	-*	_
निवल	**नामे ***		**नामे ***		**नामे ***	
109-रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय	_	_	_	_	_#	_@
निवल	**_**		**_**		**नामे $**	
112 -स्रोतों पर कर कटौती उचन्त (टीडीएस)	_	77.05	-	48.14	-	42.98
निवल	**(जमा) 77.05**		**जमा 48.14**		**जमा 42.98**	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	_	0.16	_	0.16	_	0.17
निवल	**जमा 0.16**		**जमा 0.16**		**जमा 0.17**	
129- सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त	-	(-) 3.18	_	(-) 3.20	_	(-) 3.27
निवल	**जमा (-) 3.18**		**जमा (-) 3.20**		**जमा (-) 3.27**	
139-स्रोत पर जीएसटी कटौती उचंत	-	-	-	-	-	33.62
निवल	**-**		**-**		**(जमा) 33.62**	
निवल योग	**(जमा) 74.03**		**(जमा) 45.10**		**(जमा) 73.50**	
मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण						
102-पीडब्ल्यूडी प्रेषण	42.65	34.28	32.95	33.28	27.98	30.57
निवल	**नामे 8.37**		**जमा 0.33**		**जमा 2.59**	
103- वन प्रेषण	1.76	0.14	1.75	0.14	0.05	0.13
निवल	**नामे 1.62**		**नामे 1.61**		**नामे 0.08**	
108- अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.03**		**नामे 0.03**	
129- इंदिरा गांधी नहर	77.41	76.67	77.41	76.67	77.41	76.67

लघु शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
परियोजना के तहत हस्तांतरण			
निवल	नामे 0.74	नामे 0.74	नामे 0.74
निवल योग	(नामे) 10.74	(नामे) 2.05	(जमा) 1.79

*₹ 588 मात्र, #₹ 4213 मात्र, @₹ 240 मात्र, ₹ 3973 मात्र।

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त और प्रेषण शीर्षों में सकल आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखे में कुल निवल शेष में वर्ष 2017-18 से ₹ 0.53 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

- ***भुगतान और लेखा अधिकारी (पीएओ) उचन्त (लघु शीर्ष 101)***

यह लघु शीर्ष एक केन्द्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी, संघ शासित प्रदेशों के अलग लेखा अधिकारी और महालेखाकार जहाँ अन्य पक्ष भुगतान और लेखा अधिकारी हैं, के लेखों में होने वाले अंतर-सरकारी लेने-देनों के प्रारंभिक अभिलेख के लिए अभिप्रेत है। इस शीर्ष में प्रत्येक लेखाधिकारी, जिसके साथ लेनदेनों का समायोजन किया जाना है, के लिए पृथक से उप-शीर्ष खोला जाता है । इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष लेनदेनों जो वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और अभी तक वसूल नहीं किए जा सके हैं, को इंगित करते है और जमा शेष राशि जिसका भुगतान किया जाना है, को प्रदर्शित करते हैं।

मार्च 2020 के अंत में इस खाते में बकाया नामे शेष राशि ₹ 168.25 करोड़ और जमा शेष राशि ₹ 48.83 करोड़ थी। बकाया नामे शेष मुख्यतः पीएओ, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹ 156.23 करोड़) और पीएओ (एनएच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹ 11.63 करोड़) से संबंधित है, जबकि जमा शेष मुख्यतः पीएओ (एनएच),खनन मंत्रालय (₹ 76.17 करोड़) से संबंधित है।

- ***उचंत लेखा सिविल (लघु शीर्ष 102)***

यह लघु शीर्ष महालेखाकार द्वारा संचालित होता है, जो लेन देन में पाए गए अंतरों को अंतिम रूप से समायोजित करने के लिए होता है, जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति/व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखे में प्राप्तियों को जमा तथा व्यय को नामे किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर क्रमशः ऋणात्मक जमा और ऋणात्मक नामे कर निपटान किया जाता है।

मार्च 2020 के अंत में इस शीर्ष में बकाया नामे शेष मुख्यतः सीडीए[9] (पेंशन), अलाहाबाद (₹ 0.04 करोड़) और सीडीए (एससी)[10], पुणे (₹ 0.34 करोड़) से सम्बंधित हैं। मुख्य जमा शेष को अन्य विविध उचन्त (₹ 0.76 करोड़) के तहत दर्शाया गया था।

9. नियंत्रक रक्षा लेखा ।

10. दक्षिणी कमान ।

- ***स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त (लघु शीर्ष 112)***

यह लघु शीर्ष स्रोतों पर आयकर कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के लिए है। टीडीएस प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 112-टीडीएस उचन्त में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक इन जमाओं को समायोजित किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है।

यद्यपि, 31 मार्च 2020 तक इसमें ₹ 42.98 करोड़ का बकाया था, जो आयकर विभाग को जमा किया जाना था।

- ***डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेष***

प्रतिकूल शेष लेखों के उन शीर्षों में प्रकट होने वाले नकारात्मक शेष हैं, जहां नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए और इसके प्रतिकूल हैं।

31 मार्च 2020 को 9 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों में 57 प्रकरणों[11] में राशि ₹ 1,852.37 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 1,805.58 करोड़) के अंतर्गत था। डीडीआर शीर्ष में 57 प्रकरणों में राशि ₹ 1,852.37 करोड़ के प्रतिकूल शेषों को प्राथमिकता से अंक मिलान और समायोजित करने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आंकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्ति और व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3)के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों से मिलान करना आवश्यक है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, (i) 418 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹ 2,13,491.02 करोड़ (निवल) और (ii) 181 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियों ₹ 1,40,134.23 करोड़ (निवल) (विविध पूंजीगत प्राप्तियों सहित) का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, गत पांच वर्षों में राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंक मिलान कर सकी है।

11. केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (एक प्रकरण : ₹ 0.06 करोड़); विद्युत परियोजनाओं को ऋण (तीन प्रकरण : मात्र ₹ 1220); सरकारी कर्मचारियों को ऋण (44 प्रकरण : ₹ 2.74 करोड़); राज्य प्रावधायी निधि (एक प्रकरण : ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरण : ₹ 1,805.58 करोड़); स्थानीय निधि को जमा (एक प्रकरण : ₹ 10.31 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरण : ₹ 30.91 करोड़); उचंत लेखा (दो प्रकरण : ₹ 0.02 करोड़) और रोकड़ प्रेषण और उन्ही अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन (तीन प्रकरण : ₹ 2.74 करोड़)।

4.10 नकद शेष का मिलान

'रिजर्व बैंक के पास जमा' के समक्ष शेष सरकारी लेखे में शेष को प्रदर्शित करती है, जिसमें 15 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक को अंतर-सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है । खाते में दर्शाए गए आंकड़े (₹ 49.03 करोड़ (नामे)) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए (₹ 29.80 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। इसमें से, ₹ 13.92 करोड़ (जमा) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है, जबकि ₹ 5.31 करोड़ (जमा) अंक मिलान के लिए लंबित है।

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लेखों के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं । भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए, जवाबदेही तंत्र विकसित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसाब) की स्थापना की । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए हैं। निम्न **तालिका 4.18** इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 4.18: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1.	**आईजीएएस-1:** सरकार द्वारा की गई गारंटी प्रकटीकरण की आवश्यकताएं	इस मानक में सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान (वर्ग और क्षेत्र वार) अधिकतम गारंटी राशि के साथ वृद्धि,कमी, नहीं चुकाई गई, चुकाई गई और वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया, अनुदानदाता कमीशन, और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।	अनुपालन की गई	---
2.	**आईजीएएस-2:** सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	सरकार को, सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत किया जाना	आंशिक रूप से अनुपालन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।	लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
		चाहिए। सहायतार्थ अनुदान के प्रकार को प्रकट करने की आवश्यकता है।		अभाव पाया गया।
3.	**आईजीएएस-3:** सरकार द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम	सरकार द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम की पहचान, माप और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है अपने वित्तीय विवरणों में सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम को पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया। अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहां विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।

4.12 स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

राज्य के 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[12] के लेखों की लेखा परीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गयी। अक्टूबर 2020 तक, सभी 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2018-19 तक के लेखे सिवाय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के वर्ष 2017-18 और 2018-19 और दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए), चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के वर्ष 2018-19 के लेखों को छोड़कर प्राप्त हो चुके हैं। दो निकायों के प्रकरण में प्रतिकूल टिप्पणी दी गई है जैसा कि **तालिका 4.19** में वर्णित है:

12. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, राजस्थान; राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान; राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण,राजस्थान; भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

तालिका 4.19: प्रतिकूल राय के प्रकरण

निकाय या प्राधिकरण	टिप्पणी का प्रकार	कारण
राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग मंडल, राजस्थान (**वर्ष 2018-19 के लेखे**)	सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	राशि ₹ 73.25 लाख से व्यय पर आय का आधिक्य (अधिशेष) है जिसके परिणामस्वरूप लेखों में ₹ 47.30 लाख का अधिशेष ₹ 25.95 लाख के घाटे में परिवर्तित कर दिखाया गया। सम्पत्ति और देनदारियों को क्रमशः राशि ₹ 3.00 करोड़ और ₹ 2.27 करोड़ से अधिक बताया गया।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्लू) (वर्ष 2016-17 के लेखे)	सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	लेखा परीक्षा में पाया गया कि महत्वपूर्ण प्रकरणों जैसे कि प्राप्ति योग्य पूंजीगत निधि/उपार्जित उपकर को ₹ 342.43 करोड़ कम दर्शाया गया, अर्थसहाय्य/अनुदान आदि पर व्यय को राशि ₹ 45.90 करोड़ से अधिक दर्शाया, ब्याज पर आय को ₹ 6.44 करोड़ से अधिक दर्शाया है।

4.13 विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कंपनीज

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करना आवश्यक है । अधिनियम की धारा 129 प्रतिवेदित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए रखे जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इस वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह में तैयार की जानी है। इस प्रकार की तैयारी के शीघ्र बाद ही वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस पर सीएजी द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी अथवा पूरक के साथ राज्य विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधान मंडल के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखा परीक्षा द्वारा जांच से बच जाते हैं। इसके फलस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय यदि कोई आवश्यक हो, समय से नहीं लिए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 46 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (9 सहायक कंपनियों सहित) जिनकी कुल चुकता पूंजी ₹ 50,986.20 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश ₹ 50,862.78 करोड़ शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 95,590.87 करोड़ ***(परिशिष्ट-4.5)*** था। पूँजी निवेश की तुलना में संचित घाटे की

उच्च मात्रा यह दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समग्र पूंजी पूर्ण रूप से अपक्षरित हो चुकी है और नकारात्मक निवल मूल्य ₹ 44,604.67करोड़ में परिणीत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, निवेश और संचित घाटे (हानि) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 46 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 15 में यह अपक्षरण (₹ 61,567.97 करोड़) हुआ है। निवेश के अपक्षरण में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मुख्य योगदान था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों का आयु-वार विश्लेषण नीचे **तालिका 4.20** में दिया गया है:

तालिका 4.20: लेखों का आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे कब से लंबित है	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	सरकारी निवेश
1	प्रथम लेखा प्रतीक्षित	02	164.80
2	2015-16	01	4.13
3	2016-17	01	2.16
4	2017-18	03	105.46
5	2018-19	01	45.51
	योग	**08**	**322.04**

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों में से 8 उपक्रमों के लेखे वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक लंबित हैं, जिनमें सरकार ने ₹ 322.04 करोड़ निवेश किया हुआ है।

4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियां, टिकटों, भंडार या अन्य संपत्ति सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी जाती है की हानि दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण अथवा अन्यथा होती है, जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है तो संबंधित अधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को तुरन्त सूचित करेंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक की विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन (322)और चोरी/हानि (474) के राशि ₹ 118.86 करोड़ के 796 प्रकरण सूचित किये, जिस पर अन्तिम कार्यवाही जून 2020 तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.21** में दिया गया है।

तालिका 4.21: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
			विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित (न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित)	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
निर्माण विभाग	269	10.04	65	4.59	187	3.74	17	1.72
शिक्षा विभाग	171	50.91	44	39.47	102	10.25	25	1.20
चिकित्सा विभाग	69	7.22	36	4.79	9	0.98	24	1.45
राजस्व विभाग	55	12.59	36	4.64	11	7.62	8	0.33
स्वायत्तशासी निकाय राजस्थान सरकार	8	0.45	1	0.03	7	0.43	0	0.00
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	121	25.39	98	22.54	19	1.29	4	1.56
अन्य विभाग	103	12.25	31	1.85	60	9.49	12	0.91
योग	**796**	**118.86**	**311**	**77.91**	**395**	**33.79**	**90**	**7.16**

लंबित प्रकरणों का विभाग वार विश्लेषण ***परिशिष्ट-4.6*** में दिया गया है । लंबित प्रकरणों की एक रूपरेखा तथा चोरी /हानि और दुर्विनियोजन के प्रत्येक श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे **तालिका 4.22** में सारान्शिकृत किया गया है।

तालिका 4.22: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
चोरी/हानि	474	20.27
दुर्विनियोजन	322	98.59
कुल लंबित प्रकरण	**796**	**118.86**

आगे विश्लेषण उन कारणों को इंगित करता है, जिनके कारण प्रकरण बकाया थे और निम्नलिखित **तालिका 4.23** में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सारणी 4.23: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

क्र.सं.	प्रकरणों के देरी/बकाया के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विभागीय कार्यवाही अपेक्षित	311	77.91
2.	वसूली के आदेश प्रतीक्षित	356	33.18
3.	अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	39	0.61
4.	न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित	90	7.16
	योग	**796**	**118.86**

लंबित दुर्विनियोजन प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में गोलमाल, जाली बिलों/चैकों द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से संबंधित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार/स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि से संबंधित थे। कुल 796 प्रकरणों में से राशि ₹ 33.79 करोड़ के 395 (356+39) प्रकरण वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों के लंबित रहने के कारण लंबित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

4.15 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI (क्रम संख्या 9)अनुबंध करता है कि कोषाधिकारी (टीओ) अपने द्वारा संधारित अभिलेखों के संदर्भ में बैंक द्वारा किए गए भुगतानों की यथार्थता की जांच करेगा तथा लेनदेन को उसके लेखों में शामिल करेगा।

नौ जिलों में 70 बैंकों और 6 पेंशन निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों के अभिलेखों (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) की नमूना जांच में 54 बैंकों और 3 पेंशन निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों में 159 प्रकरणों[13] में राशि ₹ 1.51 करोड़ के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान की अनियमितताएं और अतिरिक्त भुगतान प्रकट हुआ जैसाकि ***परिशिष्ट-4.7*** में दर्शाया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि 60 बैंकों और 5 निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों ने 272 पेंशन भोगियों को ₹ 2.41 करोड़ का कम भुगतान किया।

पूर्व सिविल लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान भी पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। जन लेखा समिति (पीएसी) ने भी सिफारिश की (फरवरी 2018) कि भविष्य में पेंशन के अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि अधिक भुगतान के प्रकरणों में ₹ 0.58 करोड़ की वसूली एवं कम भुगतान के प्रकरणों में ₹ 0.51 करोड़ का भुगतान किया गया तथा शेष भुगतान/वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा के दौरान ₹ 0.33 करोड़ की वसूली एवं ₹ 0.26 करोड़ के भुगतान को सत्यापित किया जा सका। आगे, वसूली/भुगतान की प्रगति अपेक्षित है (मार्च 2021)।

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि स्थिति को सुधारने और भविष्य में पेंशन का भुगतान करने में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों/ एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

13. प्रकरणः कुल 159 पेंशनर्स।

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 राज्य विधानसभा में अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया गया था। पीएसी ने वर्ष 2015-16 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा पूर्ण कर सिफारिशें की। अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों के लिए पांच विभागों (स्वायत्त शासन विभाग, कृषि विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, वन विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग) से संबंधित पीएसी चर्चा आयोजित की गई थी। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों से संबंधित पांच अनुच्छेद चर्चा के लिए लंबित हैं । ये अनुच्छेद जेंडर उत्तरदायी बजटिंग, प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों और बजट भाषण वर्ष 2017-18 पर की गई कार्रवाई की स्थिति, चयनित अनुदानों और निजी निक्षेप खातों की समीक्षा से संबंधित है।

बकाया एटीएन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 से संबंधित बागवानी विभाग का एक एटीएन 31 अक्टूबर 2020 को लंबित था।

4.17 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
एसी बिलों की घटती संख्या	राज्य सरकार की ओर से जिला परिषदों एवं राजस्थान कृषि विपणन मण्डल द्वारा लिए गए उधारों में वृद्धि।
व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बढ़ती संख्या।
	स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखों के संबंध में बकाया।
	लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत अत्यधिक राशि की बुकिंग।
	ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के शेषों के विवरण का पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर मिलान नहीं होना।
	पीडी खातों में योजनावार शेष का संधारण नहीं किया जाना।

4.18 अनुशंसाएं

i. ऋण जिनके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के पास है, को राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में सरकार के दायित्व के रूप प्रकट किया जाना चाहिए।

ii. सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी अनुदान के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है।

iii. वित्त विभाग सभी पीडी खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर सकता है कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियों को यथाशीघ्र समेकित निधि में भेज दिया गया है । इसके अलावा, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार खाता संधारित किया जाना चाहिए।

iv. दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

v. सरकार सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर करने पर विचार कर सकती है और लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का नियमित अनुश्रवण कर सकती है।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

जयपुर,
07 जून, 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
09 जून, 2021